न्यायालय जिला कलेक्टर, डूंगरपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी श्री चेतन देवडा आई.ए.एस.

प्रकरण सं.–02/2017

पंजियन दिनांक 01.03.2017
निर्णय दिनांक 29.05.2019

सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील डूंगरपुर (राज.)

––प्रार्थी

बनाम

श्रीमती धुली पत्नी हीरालाल मीणा, निवासी पालवडा, तहसील व जिला डूंगरपुर (राज.)

––विपक्षी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 के तहत्

उपस्थित :– 1. पेरोकार सरकार, प्रार्थी की ओर से
2. श्री प्रवीण शुक्ला अभिभाषक विपक्षी की ओर से

:: निर्णय ::

यह प्रकरण न्यायालय भू–प्रबन्धन अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर के प्रकरण संख्या 13/2012 निर्णय दिनांक 19.07.2016 में पारित निर्णयानुसार रिमांड होकर प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर हुआ है।

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी/तहसीलदार डूंगरपुर की ओर से न्यायालय हांजा में प्रार्थना पत्र इस आशय से पेश किया गया कि विपक्षी को राजस्व अभियान में ग्राम पालवडा की आराजी संख्या 351 रकबा 35 बीघा 11 बिस्वा में से जरिये मीसल संख्या 239/06 दिनांक 23.01.2006 के द्वारा रकबा 4–00 बीघा भूमि, भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित की गई है। आवंटित उक्त भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–8 के नजदीक होकर एक कि.मी. भूमि छोडने के पश्चात् इस आराजी में भूमि शेष नही रहती है। आवंटी उक्त भूमि पर काबिज काश्त नही है। आवंटी का पति श्री हीरालाल सरकारी कर्मचारी होने से तथा आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नही करने से आवंटन निरस्त किया जावे। तहसीलदार डूंगरपुर के उक्त प्रार्थना पत्र के क्रम में न्यायालय हांजा में प्रकरण संख्या 15/2011 दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी ने उपस्थित अदालत होकर अभिभाषक नियुक्त करते हुए अपना विस्तृत जवाब मय आवंटन पत्र की छाया प्रति एवं मौके के फोटोग्राफ्स प्रस्तुत किये। उभय पक्षों की बहस समायत करने के उपरान्त प्रकरण में दिनांक 04.06.2012 को निर्णय पारित किया गया जिसके अनुसार प्रार्थी तहसीलदार डूंगरपुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए विपक्षीया के नाम किये गये आवंटन को निरस्त किया गया। विपक्षीया ने उक्त निर्णय से असंतुष्ट होकर न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की जो क्रमांक 13/2012 पर दर्ज होकर बाद सुनवाई निर्णय दिनांक 19.07.2016 के द्वारा निर्णित हुई है जिसके अनुसार अपील विपक्षीया स्वीकार होकर न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.06.2012 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि प्रकरण में

जिला कलेक्टर
डूंगरपुर

Scanned by CamScanner

पूर्ण जांच कर एवं पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देकर विधि के अलोक में अजसरे नव निर्णय पारित करें।

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर के निर्णय दिनांक 19.07.2016 के पालन में प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया गया। अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में अंकित बिन्दुओं के क्रम में तहसीलदार डूंगरपुर से मौका रिपोर्ट तलब की गई जो प्राप्त हो पत्रावली में संलग्न है।

प्रार्थी की ओर से उपस्थित पेरोकार सरकार एवं विपक्षीया के अभिभाषक की बहस समायत की गई। पेरोकार सरकार ने अपनें प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि विपक्षीया श्रीमती धुली को विशेष राजस्व अभियान वर्ष 2006 के दौरान दिनांक 23.01.2006 को भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा राजस्व ग्राम पालवडा की आराजी संख्या 351 में से रकबा 4.00 बीघा भूमि का आवंटन राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 के तहत् किया गया है। उक्त भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–8 के नजदीक होने से रेकार्ड में इसका अमलदरामद नही किया गया। आवंटी अपना कब्जा आराजी संख्या 4119/351/1 में बता रहा है, जो जिला उद्योग केन्द्र के नाम आवंटित है। विपक्षीया को आवंटित भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–8 के एक किलोमीटर के अंदर की भूमि है। आवंटित भूमि पर आवंटी ने शर्तो की पालना नही की है। आवंटी का पति सरकारी कर्मचारी है। पेरोकार सरकार का आगे कथन है कि न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व के प्रकरण संख्या 15/2011 में पारित निर्णय दिनांक 04.06.2012 सही होने से उक्त आदेश को ही बहाल रखते हुए आवंटी का आवंटन निरस्त किया जावे।

आवंटी के योग्य अभिभाषक का कथन है कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2006 में विशेष राजस्व अभियान चलाया गया था, जिसके तहत् विपक्षीया के पुराने कब्जे काश्त के आधार पर उसे मौजा पालवडा की आराजी संख्या 351 में रकबा 4–00 बीघा भूमि कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटित की गई थी। आवंटी द्वारा उक्त भूमि को परिश्रम एवं धन व्यय कर काश्त योग्य बनाया है तथा बाड लगा काश्त काबिज है। आवंटन उपरान्त नामान्तरकरण दायर करने का दायित्व राजस्व कार्मिको का है। राजस्व कर्मियों कीं लापरवाही का खामियाजा विपक्षी पर नही डाला जा सकता है। विपक्षीया को भूमि का आवंटन दिनांक 23.01.2006 को किया गया है, जबकि जिला उद्योग केन्द्र के नाम भूमि दिनांक 14.07.2008 को आरक्षित की गई है। विपक्षीया का आवंटन पूर्व का होने से विपक्षीया बाद के आरक्षण से बाध्य नही है। विपक्षीया के योग्य अभिभाषक का यह भी कथन है कि भूमि आवंटन के समय विपक्षीया का पति सरकारी नौकरी में नही था। विपक्षीया को आवंटन दिनांक 23.01.2006 को हुआ है। जबकि विपक्षीया के पति दिनांक 10.02.2006 को सरकारी नौकरी में आया है। कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 में राष्ट्रीय राजमार्ग से एक किलोमीटर छोडकर भूमि आवंटन करने का प्रावधान नही है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में वर्णित भूमियां आवंटन हेतु उपलब्ध नही होती है। प्रश्नगत आवंटित भूमि उक्त श्रेणी की भूमि नही है। विपक्षीया को भूमि खसरा नम्बर 351 में आवंटित हुई है जिसका रकबा बड़ा है तथा अन्य नम्बर इसी से बने है। विपक्षीया आज भी मौके पर काश्त काबिज है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारीज किया जाकर विपक्षीया का आवंटन बहाल

Scanned by CamScanner

रखा जाकर प्रार्थी तहसीलदार डूंगरपुर को रेकार्ड में अमल दरामद का आदेश प्रदान फ़रमावे।

उभय पक्षों की बहस पर मनन करते हुए पत्रावली का आद्योपरांत अवलोकन किया गया। प्रार्थी तहसीलदार डूंगरपुर की रिपोर्ट एवं आवंटन आदेश अनुसार विपक्षीया को मौजा पालवडा के खसरा संख्या 351 में रकबा 4–00 बीघा कृषि प्रयोजनार्थ दिनांक 23.01.206 को आवंटित किया जाना एवं आराजी संख्या 4119/351 में रकबा 10–00 बीघा आदेश जिला कलेक्टर डूंगरपुर दिनांक 14.07.2008 के द्वारा जिला उद्योग केन्द्र डूंगरपुर हेतु आरक्षित किया जाना प्रमाणित है। प्राथी के प्रार्थना पत्र दिनांक 25.05. 2011 के अनुसार विपक्षीया अपना कब्जा आराजी संख्या 4119/351/1 रकबा 10 बीघा पर होना बता रही है, जो उपलब्ध रेकार्ड के अनुसार खसरा नं. 4119/351/1 जिला उद्योग केन्द्र डूंगरपुर के नाम आरक्षित है।खसरा नम्बर 351 का 35 बीघा 15 बिस्वा रकबा काफी ज्यादा था, उसमें सें अप्रार्थीया को भूमि आवंटन एवं जिला उद्योग केन्द्र को भूमि आरक्षित करना पाया जाता है। विपक्षीया ने अपने कब्जे काश्त के संबंध में अलावा फोटोग्राफ्स के गिरदावरी अथवा अन्य कोई राजस्व रिकार्ड प्रस्तुत नही किये है। यदि आवंटी का मौके पर आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त है तो खसरा गिरदावरी में इसका अंकन होना चाहिए। परन्तु ऐसा कोई रिकार्ड पत्रावली पर प्रस्तुत नही हुआ है। इससे स्पष्ट है कि आवंटी का आवंटित रकबे पर कब्जा काश्त नही है। संभागीय आयुक्त, उदयपुर के पत्र दिनांक 24.10.2003 द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग के सहारे एक किलोमीटर भूमि में आवंटन/नियमन को प्रतिबंधित किया गया था जिसके बाद व्यवहारिक कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25.01.2006 के द्वारा 250 मीटर किया गया है। तहसील से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार आवंटित भूमि एन.एच. 8 के मध्य से 250 फीट दूर स्थित है। विपक्षीया को आवंटन दिनांक 23.01.2006 के पश्चात् विपक्षीया के पति की सरकारी नौकरी होने बाबत् कथन किया है परन्तु कोई प्रमाणित दस्तावेज भी पेश नही किया है। प्रस्तुत रिकार्ड अप्रमाणित होनेसे साक्ष्य में स्वीकार योग्य नही है

अतः उक्त विवेचन के दृष्टिगत मेरा यह विनम्र मत है कि विपक्षीया के नाम मौजा पालवडा की आराजी संख्या 351 में किया गया 4–00 बीघा का भूमि आवंटन निरस्त योग्य है। अतः अप्रार्थीया के पक्ष में ग्राम पालवडा के आराजी खसरा नम्बर 351 में आवंटित 4 बीघा भूमि को निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार डूंगरपुर को भेजी जावे।

निर्णय आज आज दिनांक 29.05.2019 को लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

(चेतन देवडा)
जिला कलेक्टर
डूंगरपुर

जिला कलक्टर
डूंगरपुर (राजस्थान)

Scanned by CamScanner